अध्याय 7

प्रशिक्षण स्थापना का आधुनिकीकरण एवं संवर्धन

अध्याय 7
प्रशिक्षण स्थापना का आधुनिकीकरण एवं संवर्धन

7.1 प्रस्तावना

पुलिस बल द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन तथा तेजी से बढ़ते हुए चुनौतियों के साथ सामन्जस्य बनाने के उद्देश्य से ज्ञान अर्जित करने तथा व्यवसायिक कौशल विकास की आवश्यकता हेतु प्रशिक्षण अति आवश्यक है। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण (डी0जी0पी0टी0), राज्य के पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय का प्रमुख है तथा वह पुलिस बल के सभी स्तर के पदों के लिए आन्तरिक एवं वाह्य आधारभूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना जन शक्ति प्रबन्धन तथा प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है प्रदेश में नौ[12] प्रशिक्षण संस्थानो तथा 33 रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्रों (आर0टी0सी) में पुलिस बल को प्रशिक्षण दिया जाता है।

पुलिस शारीरिक प्रशिक्षण

भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन), पुलिस उपाधीक्षक, सहायक अभियोजन अधिकारी आदि को आधारभूत प्रशिक्षण देने के लिए डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद उत्तरदायी है। निरीक्षकों एवं आरक्षियों (नागरिक पुलिस) को क्रमशः दो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों (पी0टी0सी0), तथा चार पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों (पी0टी0एस0) में प्रशिक्षण दिया जाता है। निरीक्षक (सशस्त्र पुलिस) तथा आरक्षियों के क्रमशः दो सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों (ए0पी0टी0सी) तथा 33 आरटीसी में प्रशिक्षण दिया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रदेश में पुलिस बल के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रकाश में आयी विभिन्न कमियों की चर्चा आगे की गयी है।

7.2 उपकरणों की खरीद न किया जाना।

2011–16 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए आवंटन और उसके सापेक्ष व्यय का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 7.1: वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	आवंटन	व्यय	शेष धनराशि (प्रतिशत)
तेरहवाँ वित्त आयोग	4.23	2.28	1.95 (46)
पुलिस बल का आधुनिकीकरण	27.86	4.16	23.70 (85)
	32.09	**6.44**	**25.65 (80)**

(**स्रोतः** प्रशिक्षण निदेशालय और पुलिस मुख्यालय)

[10] डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस आकादमी, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मिर्जापुर, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ, तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव।

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया और खरीद को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण ₹ 32.09 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान केवल ₹ 6.44 करोड़ (20 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था और ₹ 25.65 करोड़ (80 प्रतिशत) समर्पित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इंटरेक्टिव आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर/एडवान्स्ड वैपन सिम्युलेटर, साइबर अपराध प्रयोगशाला (उपकरण तथा साफ्टवेयर), सौर जल ताप प्रणाली इत्यादि को योजनाबद्ध रूप से खरीदा नहीं जा सका था।

इस प्रकार क्रय की प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि शासनादेश (मार्च 2016) के अनुसार शासन द्वारा ₹ 10.87 करोड़[13] की धनराशि उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के पी.एल.ए. में इस शर्त के साथ रखी गयी थी कि इसका उपयोग जून 2016 तक कर लिया जाये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पी.एल.ए. में जमा इस धनराशि का उपयोग जुलाई 2016 तक नहीं किया गया था। अग्रेतर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अवशेष धनराशि को पी.एल.ए. में रखना अनियमित था और वित्तीय नियमों के तहत अनुमन्य नहीं था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि प्रशिक्षण प्रयोगशाला के लिए 2013–14 में साइबर अपराध उपकरण/साफ्टवेयर की खरीद, अतिरिक्त निदेशक/निदेशक पुलिस, डा0 भीम राव अम्बेड़कर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद को सोंपी गयी थी। खरीद में विलम्ब का कारण उपकरणों के मूल्य में ₹ 256.17 लाख की वृद्धि और ₹ 697.53 लाख की स्वीकृत लागत के अधिकांश उपकरणों/साफ्टवेयरों का आयात होना था। वर्तमान में उपरोक्त उपकरणों की खरीद ए0डी0जी0, पुलिस तकनीकी सेवा निदेशालय द्वारा की गयी है और भुगतान के लिए बिल पुलिस मुख्यालय को भेजा (दिसम्बर 2016) गया है। इस प्रकार, साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला (उपकरण तथा साफ्टवेयर) के क्रय में लगा समय, क्रय की निविदा तथा दर अनुबन्ध की प्रक्रिया निहित होने के दृष्टिगत असामान्य नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि ए.डी.जी. पुलिस तकनीकी सेवा निदेशालय को प्रक्रिया सौंपी गयी होती तो खरीद की प्रक्रिया पूरी की जा सकती थी। उपकरणों की खरीद में विलम्ब ये साइबर अपराध से सम्बिन्धित मामलों के अनुभव के लाभ से वंचित कर दिया।

7.3 प्रशिक्षण केन्द्रों की अपर्याप्त क्षमता

प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रो में आधारभूत अवस्थापन एवं सुविधा उपलब्ध न कराये जाने में असफलता से प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में ठहरने के दौरान असुविधा भी होती है।

प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान उपलब्ध पुलिस बल के आठ प्रतिशत भाग को प्रशिक्षण के लिए आरक्षित रखा जाना था। तद्नुसार, स्वीकृत संख्या के आधार पर विभाग में वर्ष 2011–15 की अवधि में 28,320 से 29,598 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की क्षमता उपलब्ध होना चाहिए थी। प्रशिक्षण निदेशालय के अभिलेखों की जॉच में प्रकाश में आया (जुलाई 2016) कि विभाग के पास

[13] साइबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणः ₹ 9.54 करोड़, सौर जल ताप प्रणालीः ₹ 1.33 करोड़।

मात्र 10,440[14] प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की क्षमता उपलब्ध थी, जो यह दर्शाता था कि विभाग की प्रशिक्षण क्षमता में 63 से 65 प्रतिशत तक कमी थी।

अग्रेतर, गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कुल 2,400 प्रशिक्षणार्थीयो (800 प्रशिक्षु प्रति पीटीएस) की क्षमता वृद्धि के लिए शासन द्वारा जनपद बरेली, जालौन तथा सुलतानपुर में तीन पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों (पीटीएस) की स्थापना हेतु स्वीकृति (मार्च 2012) दी गयी थी। परन्तु भूमि उपलब्धता की समस्या को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय (मई 2013) लिया गया कि जनपद बरेली में स्थापित होने के लिए स्वीकृत (₹ 33 करोड़) पी0टी0एस0 को जनपद कांशीराम नगर में स्थापित किया जाये।

पुलिस मुख्यालय के अभिलेखो की जॉच में स्पष्ट हुआ कि भूमि विवाद के कारण कांशीराम नगर में पीटीएस निर्माण का कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा जनपद सुल्तानपुर व जालौन में अन्य दो पीटीएस का (₹ 63.15 करोड़ की लागत मे) निर्माण कार्य ले–आउट योजना तथा डिजाईन/भवनों के नक्शे में परिवर्तन, निर्माण एजेन्सी में परिवर्तन करने तथा निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभी तक (मार्च 2017 तक), अपूर्ण थे। अतः चार वर्ष के पश्चात भी विभाग प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि करने में असफल था एवं पीटीएस भी क्रियाशील नहीं हो सका था। अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता तथा आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों में कमी से राज्य में पुलिस बल के प्रशिक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा था जैसा कि प्रस्तर 7.4 तथा 10.2 में चर्चा किया गया है।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि यद्यपि राज्य में प्रशिक्षण क्षमता में कमी है परन्तु वाह्य व आन्तरिक अनुदेशकों को लगाकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। जनपद काशीरामनगर, जालौन व सुल्तानपुर के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों के निर्माण की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में शासन ने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण विद्याालय, काशीराम नगर के निर्माण हेतु ₹ 251.67 करोड़ का प्राक्कलन शासन स्तर पर विचाराधीन है तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्याालय, सुल्तानपुर तथा जालौन के निर्माण कार्य के लिए सम्बन्धित निर्माण इकाई को निर्माण कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया है। यद्यपि, राज्य में प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता अपर्याप्त रही।

7.4 प्रशिक्षण अनुदेशकों की कमी

नवनियुक्त कैडेट जैसे पुलिस उपाधीक्षक, सहायक अभियोजन अधिकारी, उप निरीक्षकों, आरक्षियों आदि को आन्तरिक प्रशिक्षण देने के लिए अभियोजन अधिकारी तथा मनोवैज्ञानिक उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार शारीरिक एवं पैदल प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई/आईटीआई) उपर बताये गये कैडेटस को बाह्य प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2011–16 के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रो में आन्तरिक व वाह्य प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों की स्वीकृत पद संख्या, उपलब्ध जनशक्ति तथा उनमें कमियों का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है।

[14] नौ प्रशिक्षण संस्थानः 4090 (डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबादः 340: पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबादः 600: तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुरः 600: सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मिर्जापुरः 600 तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुरः 350, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुरः 600: पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयः मेरठः 300: पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयः मुरादाबादः 400. पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव 300 तथा 33 रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्रः 6,350।

सारणी 7.2: आन्तरिक व वाह्य अनुदेशकों की स्वीकृत संख्या एवं उपलब्धता

वर्ष	आन्तरिक प्रशिक्षण अनुदेशक			वाह्य प्रशिक्षण अनुदेशक		
	अभियोजन अधिकरी/मनोवैज्ञानिक			शारीरिक /पैदल प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई/आईटी आई)		
	स्वीकृत संख्या	उपलब्ध जनशक्ति	आधिक्य (+) कमी (-) (प्रतिशत)	स्वीकृत संख्या	उपलब्ध जनशक्ति	आधिक्य (+) कमी (-) (प्रतिशत)
2011–12	50	32	(-)18 (36)	514	612	98 (19)
2012–13	50	32	(-)18 (36)	514	612	98 (19)
2013–14	50	32	(-)18 (36)	514	612	98 (19)
2014–15	56	18	(-)38 (68)	518	470	(-)48 (10)
2015–16	55	18	(-)37 (67)	535	208	(-)27 (11)

(स्रोतः बजट खण्ड–6)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों में 36 से 68 प्रतिशत तक की कमी थी। मनोवैज्ञानिक के पद में कमी शत प्रतिशत थी। वाह्य प्रशिक्षण के अनुदेशक पद के सम्बन्ध में वर्ष 2011–14 की अवधी में पीटीआई/आई टीआई के स्वीकृति पद के विरूद्ध उपलब्ध पद 19 प्रतिशत तक अधिक था। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि इस अवधि में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में पीटीआई/आईटीआई के 16 से 34 पद बिना स्वीकृति के भरे गये थे।

नमूना जॉच के पॉच प्रशिक्षण संस्थानों के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2011–14 की अवधि में इन प्रशिक्षण संस्थानों में पीटीआई/आईटीआई के पदों में 14 से 34 प्रतिशत तक की कमी थी ***(परिशिष्ट 7.1)***।

उत्तर में शासन ने लेखापरीक्षा के टिप्पणी को स्वीकार (फरवरी 2017) किया तथा बताया कि वाहय प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को अस्थायी वाह्य प्रशिक्षण अनुदेशकों के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशकों के सम्बन्ध में शासन द्वारा लेखापरीक्ष की टिप्पणी पर उत्तर नहीं दिया गया।

7.5 आन्तरिक प्रशिक्षण

आन्तरिक प्रशिक्षण के आधारभूत कोर्स के पाठ्यक्रम के अनुसार आन्तरिक प्रशिक्षण के कोर्स को सम्पादित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानो/केन्द्रों में पठन कक्ष, सूचना तकनीकी, कम्प्यूटर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, साइबर अपराध प्रयोगशाला, छात्रावास तथा पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए। नमूना जॉच किये गये पॉच प्रशिक्षण संस्थानों[15] के अभिलेखो की जॉच में स्पष्ट हुआ कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में

[15] डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण महालिद्यालय, मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद; सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर; तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं था तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्याालय, मुरादाबाद तथा सीतापुर में साईवर अपराध प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणो के क्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के इन उपकरणो को स्थापित करने के लिए स्थल विकास का कार्य प्रगति पर है। साइबर अपराध प्रयोगशाला के सम्बन्ध में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि साइबर अपराध प्रयोगशाला के उपकरणो के क्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही अपर पुलिस महानिदेशक, तकनिकी सेवायें द्वारा किया जा रहा था। जबकि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयो में साइबर अपराध प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध न होने का तथ्य यथावत था, परिणामस्वरूप पुलिस बल के अधिकारी विधि विज्ञान तथा साइबर अपराध जॉच के तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित रहे।

7.6 वाह्य प्रशिक्षण

वाह्य प्रशिक्षण के आधारभूत कोर्स के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में माडल पुलिस थाना, फाइरिंग रेंज, घुड़सवारी सैडल, तरण ताल, वाहन चालन ट्रैक, माप व तौल आदि की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। नमूना जॉच किये गये पॉच प्रशिक्षण संस्थानों[16] के अभिलेखो की जॉच से प्रकट हुआ कि :

- पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुराबाद में माडल पुलिस थाना उपलब्ध नहीं था; तथा
- पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में माप व तौल की सुविधा उपलब्ध नहीं था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में माडल पुलिस थाना स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के कार्यालयाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश पूर्व में ही निर्गत कर दिये गये है। शासन का उत्तर तथ्यो के अनुरूप नहीं है क्योकि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में विद्यालय के अधिकारियों के साथ सम्पन्न संयुक्त भौतिक सत्यापन में विद्यालय में माडल पुलिस थाना को स्थापित करने का तथ्य नहीं पाया गया था।

7.7 प्रशिक्षण संस्थानो में अत्याधिक बोझ

वर्ष 2011 तथा 2015 के दैरान प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों पर क्रमशः 187 तथा 153 प्रतिशत तक का अधिक बोझ था परन्तु अन्य वर्षों में ये प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र क्षमता से कम उपयोग में रहे थे। नमूना जॉच किये गये पांच प्रशिक्षण संस्थानों के अभिलेखों की जांच (42 प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र में से) में इस तथ्य की पुष्टि हुई कि प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों पर प्रशिक्षण का अधिक बोझ था ***(परिशिष्ट 7.2)*** इन नमूना जांच किये गये प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2013 को छोड़कर शेष वर्षों में 2464 से 7197 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किये गये थे, जो इनकी क्षमता से 104 से 214 प्रतिशत की सीमा तक अधिक था। यह अंतर्निहित था कि नियुक्ति तथा प्रशिक्षण को उचित रूप से नियोजित तथा सम्पन्न नहीं किया गया था।

[14] डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद; सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सीतापुर; तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि शासन द्वारा पुलिस बल में नये भर्ती तथा पदोन्नति किये जाने के कारण प्रशिक्षण संस्थानो के क्षमता से अधिक, पुलिस बल को प्रशिक्षित किया गया था। शासन का उत्तर स्वतः पुष्टि करता है कि वर्ष 2011 से 2015 की अवधि में प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र 187 तथा 153 प्रतिशत की सीमा तक अधिक बोझ रहा था।

7.8 प्रशिक्षुओं के लिए अपर्याप्त आवासीय सुविधा

आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्था द्वारा निर्दिष्ट आवास में ही रहना था तथा किसी भी प्रशिक्षु को अन्य स्थानो पर रहने की अनुमति नहीं थी। जबकि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि प्रशिक्षण संस्थानो में प्रशिक्षुओ के लिए आवास की अत्यधिक कमी थी।

वर्ष 2011–16 के दौरान 42 प्रशिक्षण संस्थानो/केन्द्रों में उपलब्ध आवासीय क्षमता तथा प्रशिक्षुओं का वर्षवार विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:

सारणी 7.3: आवश्यक एवं उपलब्ध आवासीय सुविधा

वर्ष	आवश्यक आवासीय सुविधा (उपलब्ध पुलिस बल का आठ प्रतिशत)	उपलब्ध आवासीय सुविधा की संख्या	कमी (आवश्यकता का प्रतिशत)
2011–12	28320	21150	7170(25)
2012–13	28320	21150	7170(25)
2013–14	28320	21150	7170(25)
2014–15	28320	21150	7170(25)
2015–16	29598	21150	8448(29)

(**स्रोतः** बजट खण्ड–6 तथा प्रशिक्षण निदेशालय)

उपर्युक्त सारणी से यह प्रकट होता है कि वर्ष 2011–16 की अवधि में प्रशिक्षुओ के लिए आवासीय सुविधा में 25 से 29 प्रतिशत की कमी थी।

सीतापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी प्रकाश में आया कि प्रशिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधा पर्याप्त नहीं थी। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में 16 प्रशिक्षुओ के रहने हेतु बनाये गये बैरक में 26 प्रशिक्षु रह रहे थे। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में बैरंक में आलमारी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, फलस्वरूप प्रशिक्षुओ के व्यक्तिगत सामान खुले स्थानो पर पड़े हुए थे।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में प्रति छात्रावास 120 प्रशिक्षुओं की क्षमता के दो छात्रावासों (एक पुरूष तथा एक महिला के लिए) का निर्माण कार्य अग्रिम स्तर पर है। इन छात्रावासो का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात आवास की समस्या का समाधान हो जायेगा। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के बैरक में आलमारी की सुविधा उपलब्ध न होने के विषय में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि पुराने बैरक में आलमारी की सुविधा नहीं थी।

7.9 आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर (एफएएस)

आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर प्रशिक्षण का उपयोग सामान्यतः होने वाले प्रशिक्षण से भिन्न अधिक से अधिक अभ्यास के सम्भावना की अनुमति देता है तथा इस प्रकार का अभ्यास, सामान्य प्रशिक्षण के विपरित विशेष रूप से अपेक्षित प्रशिक्षण की पूर्ति करता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण कारतूसो के कम उपयोग को भी सुनिश्चित करता है तथा इसके परिणामतः प्रशिक्षण लागत में कमी व समय का कुशलता से उपयोग होता है। आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर से प्रशिक्षण व्यक्तिगत अभ्यास, शस्त्र अभ्यास की व्यापकता एवं संज्ञानात्मक कुशलता का एक प्रभावशाली माध्यम है।

लेखापरीक्षा में प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2016) अभिलेखो की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा मई 2005 से फरवरी 2013 की अवधी में आठ प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों[17] में दस आग्नेयास्त्र सिमुलेटर स्थापित किये गये थे। इन दस में से छः आग्नेयास्त्र सिमुलेटर, तकनिकी समस्या तथा वार्षिक मरम्मत हेतु अनुबन्ध (एएमसी) के अभाव में वर्ष 2012[18] से फरवरी 2016 की अवधि से अक्रियाशील थे। प्रशिक्षण निदेशालय ने सूचित किया कि इन आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आगे पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में स्थापित आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर जो क्रियाशील बताया गया था परन्तु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद के अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि यह आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर तकनिकी खराबी के कारण अप्रैल 2015 से अक्रियाशील था। इसके अतिरिक्त, एक[19] प्रशिक्षण संस्था तथा 33 रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्रों में आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर उपलब्ध नहीं थे। इसलिए प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रो में आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर क्रियाशील न होने या उपलब्ध न होने के कारण अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रो में प्रशिक्षण पा रहे पुलिस बल को विकसित आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि मई 2005 से फरवरी 2013 के दौरान स्थापित दस में से सात[20] आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर क्रियाशील थे। परन्तु इनके क्रियाशील होने के सम्बन्ध में शासन ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। जबकि, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद के संयुक्त भौतिक सत्यापन में क्रियाशील बताया गया आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर अप्रैल 2015 से अक्रियाशील पाया गया। आगे शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि शेष तीन[21] आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर को क्रियाशील बनाने की कार्यवाही प्रचलित है। एक प्रशिक्षण संस्थान तथा 33 रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्रों में आग्नेयास्त्र सिम्युलेटर उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

---

[17] डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी (01) तथा पुलिस प्रशिक्षण महालिद्यालय, (01) मुरादाबाद; पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, (01) तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, (01) सीतापुर; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (01) ,गोरखपुर; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (01), मेरठ; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (02), उन्नाव; तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (02), मिर्जापुर।

[16] डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी 01 नग (फरवरी 2016 से), तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबादः 01 नग (अप्रैल 2015 से), पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर 01 नग (06 अगस्त 2015 से), तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महालिद्यालय, सीतापुर 01 नग (16 मार्च 2015 से), पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ 01 नग (27 अगस्त 2016 से), तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मिर्जापुर 02 में से 01 नग (2012 से)।

[17] पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद।

[18] डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद; 01, तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद; 01; सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मिर्जापुरद्ध; 02; पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर '01; तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव 02।

[19] पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुरः 01, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुरः 01; तथा, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठः 01।

7.10 साइबर अपराध प्रयोगशाला स्थापित न किया जाना

साइबर अपराध से सम्बधित प्रकरणों का सामना करने के लिए डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद द्वारा अकादमी में साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला (साइबर प्रयोगशाला) स्थापित करने हेतु, पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना 2013–14 के अन्तर्गत रु 16.68 करोड की लागत का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अकादमी के उक्त प्रस्ताव के विरुद्व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रु 9.54 करोड (सितम्बर 2014: रु 2.56 करोड़, जनवरी 2015: रु 6.98 करोड़) स्वीकृत किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2016) कि अकादमी में मई 2016 तक साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं किया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के अभिलेखों की जॉच (जून 2016) में प्रकट हुआ कि साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उपकरणों एवं साफटवेयर की व्यवस्था जून 2016 तक प्रगति में था। परिणामस्वरुप प्रशिक्षण सत्र 2015 तथा 2016 के दौरान प्रशिक्षित 848 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक, (नागारिक पुलिस), साइबर अपराध के प्रशिक्षण से वंचित रह गये थे (क्रमशः 524 तथा 324 प्रशिक्षु)।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानो में साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 15 हार्डवेयर व साफटवेयर उपकरणों की क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर (फरवरी 2017) लिया गया है। प्रशिक्षण संस्थानो में इन्हें स्थापित करने के लिए स्थल की तैयारी प्रगति (फरवरी 2017) में है। अपर महानिदेशक, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद ने भी पुष्टि किया (अप्रैल 2017) कि साइबर अपराध प्रशिक्षण प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं है।

संस्तुतियाँ

- *प्रशिक्षण संस्थानो के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस बल को उच्चतम तकनीकी के साथ गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देने, प्रशिक्षण संस्थानो को पर्याप्त रुप से सुसज्जित करने तथा उपकरणों की प्राप्ति में विलम्ब न होने देने का सघन अनुश्रवण करना चाहिए;*

- *प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दो पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों के भवनों के निर्माण में तेजी लाने तथा राज्य में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता की उपलब्ध क्षमता व आवश्यकता के मध्य अन्तर को कम करने के लिए अनुश्रवण किया जाना चाहिए;*

- *प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुदेशक पदों के रिक्तियों को भरने की कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहिये। अग्रेतर, उपलब्ध वाह्य प्रशिक्षण के अनुदेशकों को तार्किक ढंग से तैनात करना चाहिए; तथा*

- *इस तथ्य के दृष्टिगत कि साइबर अपराध तथा उसका परीक्षण एक नया व जटिल विषय है एवं इसके लिए विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साइबर प्रयोगशाला की स्थापना शीध्रता से हो तथा पुलिस बल को बिना विलम्ब के साइबर अपराध में प्रशिक्षण दिया जाये।*